दिल्ली विषान समा सिववालय

समाचार भाग-2 §विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी § मंगलवार, 26 मई, 1998/ज्येष्ठ 05, 1920 §शक §

संस्या-395

सदस्यों की नज़रबन्दी एवं रिहाई

माननीय सदस्यों को सूचित किया जाता है कि माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा को पुलिस उपायुक्त, उत्तरी जिला, दिल्ली से दिनांक 20·5·1998 की निम्नलिखित संसूचना दिनांक 25·5·1998 को प्राप्त हुई है :-

"मुझे आपको ससम्मान सूचित करना है कि मिर्जा गालिब की दो सींवी वर्षगांठ की यादगार में आयोजित समारोह का विरोध करने पर श्री हास्न युसुफ एवं श्री शोएब इकबाल, विधायकों को उनके 49 समर्थकों सिंहत दिल्ली पुलिस अधिनियम की धारा-65 के अंतर्गत दिनांक 17.5.1998 को अप.8.50 बजे से 9.20 बजे तक गिरफ्तार किया गया ।"

पी • एन • गुप्ता सचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT

BULLETIN PART-II

(General information relating to Legislative & other matters)
Tuesday, May 26, 1998/Jyaishth 05, 1920 (Saka)

No. 395

DETENTION AND RELEASE OF MEMBERS

The following message dated 20.05.98 addressed to the Hon'ble Speaker, Delhi Vidhan Sabha was received from Dy. Commissinor of Police, North District, Delhi on 25.05.98:-

"I have the honour to inform you that Shri Haroon Yusuf and Shri Shoaib Iqbal, MLAs alongwith 49 supporters were detained u/s 65 Delhi Police Act from 8.50 P.M. to 9.20 P.M. on 17.05.98 for protesting against the bi-centenary celebrations of Mirza Ghalib."